


अज अदालत श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस. ,  
बइजलास: उपखंड अधिकारी सूरजगढ, झुन्झुनू (राजस्थान)  
कुलदीप बनाम निर्मला कुल्हार वगै०

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 135/2024

दिनांक - 17.06.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम देवरोड तहसील पिलानी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 180, 181, 182 भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.01.2023 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

यह आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ  
(सुमन देवी II आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-135/2024  
कुलदीप बनाम निर्मला कुल्हार वगै०  
निर्णय दिनांक:- 17.06.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू  
श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)  
पीठासीन अधिकारी:-


मु०नं० 135/2024  
निर्णय दिनांक:- 17.06.2025

कुलदीप बनाम निर्मला कुल्हार वगै०  
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 17.06.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम देवरोड तहसील पिलानी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 180, 181, 182 भूमि के पक्षकारान को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.01.2023 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

यह आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

  
(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**सूरजगढ**